


राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)()डीएलबी/19/24943

दिनांक: 13-12-19

आदेश

नगर निगम जयपुर में पैरवी हेतु श्री शीतांशु शर्मा, एडवोकेट, को नियमानुसार देय पारिश्रमिक पर पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है। इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर निगम जयपुर से देय होगा।


(उज्ज्वल राठोड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)()डीएलबी/19/24944-950

दिनांक: 13-12-2019

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।

02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।

03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।


04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।

05. महापौर/आयुक्त, नगर निगम जयपुर।

06. श्री शीतांशु शर्मा, एडवोकेट मार्फत, नगर निगम जयपुर।

07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

08. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी